



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters

पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone-011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

N-15011/7/2023-P&D

दिनांक : 13.03.2024

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा 3 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के गैर अधिसूचित 7 जिलों नामतः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी अधिसूचना / Notification under Sub-Section 3 of Section 1 of ESI Act in all the area of 7 non-notified districts i.e. Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Pithoragarh, Rudraprayag and Uttarkashi districts, in the State of Uttarakhand.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 12.03.2024 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 1257(अ) दिनांक 8 मार्च, 2024 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-13032024-252923)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा 3 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के गैर अधिसूचित 7 जिलों नामतः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 1257(E) dated 08.03.2024 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 12.03.2024 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-13032024-252923)

Implementation of ESI Act,1948 under Sub-Section 3 of Section 1 in all the area of 7 non-notified districts of Uttarakhand i.e. Almora, Bageshwar, Chamoli, Champawat, Pithoragarh, Rudraprayag and Uttarkashi shall be effective from 01.04.2024.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	565
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	103
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	110
कुल / Total	668/778

संलग्नक - यथोपरि

(अमित कुमार तिवारी)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तराखंड को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।